लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.: 48
उत्तर देने की तारीखः 25.06.2019

प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में सुधार करना

***48. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः**
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में सुधार किये जाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये बनाई गई समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में सुधार किये जाने पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड़) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कितना-कितना वित्तीय व्यय वहन किये जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचन्द गेहलोत)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में पूछे गए दिनांक 25.06.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 48 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ड़): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में सुधार लाने के लिए समय-समय पर इनमें संशोधन करता रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है। निम्नलिखित योजनाओं में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

क. अनुसूचित जाति कल्याण प्रभागः

1. छात्रवृत्ति योजनाएं

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर एवं मैट्रिकपूर्व दोनों योजनाओं और सफाई एवं स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रतिबद्ध देयता के अंतिरिक्त समग्र व्यय हेतु केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है जो पिछली योजनावधि के दौरान व्यय के आधार पर प्रत्येक योजनावधि/वित्त आयोग चक्र के प्रारम्भ में निर्धारित की जाती है। 'प्रतिबद्ध देयता' संबंधी अवधारणा के कारण, वित्तीय बोझ का अधिकतम भाग 2017-18 और 2018-19 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वहन करना पड़ गया था और केन्द्र सरकार का भाग न्यूनतम हो गया था। इसलिए, योजना के अंतर्गत निधियन पैटर्न को 'प्रतिबद्ध देयता' से केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 'पूर्व निर्धारित निश्चित शेयरिंग अनुपात' के रूप में बदलने की परिकल्पना की गई है। इससे निश्चित रूप से निधियों के प्रवाह को गंति मिलेगी और राज्य का वित्तीय भार कम होगा।

केन्द्र और राज्यों का कुल वार्षिक व्यय क्रमशः पीएमएस-एससी के लिए लगभग 10,000 करोड़ रूपये, प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप-एससी के लिए 1000 करोड़ रुपये और सफाई और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति के संबंध में 100 करोड़ रुपये होगा।

2. अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी को एससीए):

केन्द्रीय रूप से प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए चुनिंदा आयजन्य गतिविधियों, कौशल विकास और अवसंरचना विकास हेतु राज्य अनुसूचित जाति उप-योजना के एक योजक के रूप में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रस्ताव किया गया है कि आयजन्य गतिविधियों के लिए सब्सिडी के अधिकतम स्तर को मौजूदा 10,000 रुपये प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य स्तर पर लाया जाए और पात्र मानदंड को "गरीबी

रेखा से नीचे के व्यक्तियों" से "2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की आय वाले व्यक्तियों" में बदल दिया जाए। इस योजना को उपलब्ध बजट के भीतर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

3. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

यह योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों में अवसंरचना विकास हेतु अन्तर-पूर्ति निधियां प्रदान करने के लिए उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी। अक्तूबर, 2018 तक, केवल 2500 गांवों को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया गया था। 2018-19 में, इस योजना पर ज्यादा ध्यान देने के लिए इसमें संशोधन किया गया था और 10 क्षेत्रों जैसे जल और स्वच्छता, शिक्षा, विद्युत, ग्रामीण सड़कें और आवास आदि में 50 पहचानशुदा महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक 'निगरानीयोग्य संकेतकों' के प्रति अंतर विश्लेषण, आयोजना और कार्यान्वयन हेतु उपबंध जोड़े गए थे, । मंत्रालय की एक अन्य योजना अर्थात एससीएसपी को एससीए के अभिसरण में इस योजना के और आगे विस्तार के लिए निधियों की व्यवस्था भी की गई थी। अब यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक वर्ष 3000 से 3500 अतिरिक्त गांवों को शामिल करते हुए उन सभी एससी बहुल गांवों को कवर किया जाए जिनकी कुल जनसंख्या 15वें वित्त आयोग चक्र के अंत तक 500 से अधिक हो और साथ ही उन्हें निश्चित अंतरालों पर बार-बार धनराशि प्रदान की जाए ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

प्रति गांव 21 लाख रुपये के मौजूदा स्तर पर केन्द्र सरकार के अंशदान को ध्यान में रखते हुए सभी गांवों कवर करने के लिए 6000 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य का अंशदान अनिवार्य नहीं है। तथापि, राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मौजूदा केन्द्र/राज्य योजनाओं से 'अन्तर-पूर्ति' का कम से कम तीन गुना से चार गुना तक अंशदान करें अथवा राज्य सरकारों से समतुल्य अनुदान के बराबर अंशदान करे।

4. एनएसएफडीसी के लिए इक्विटी अंशदान

एनएसएफडीसी की शेयर पूंजी को 1500.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3000.00 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है ताकि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को ज्यादा ऋण दिया जा सके।

5. 170 जिलों में मैनुअल स्केवेंजर का राष्ट्रीय सर्वेक्षण

विभिन्न क्षेत्रों की यह मांग थी कि "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अधिनियमन के बाद मैनुअल स्केवेंजिंग के कार्य में संलग्न जिन व्यक्तियों की पहचान होने से रह गई थी, उन सभी मैनुअल स्केवेंजरों की पहचान की जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और नीति आयोग ने इन मांगों का संज्ञान लिया और तदनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नीति आयोग के

सहयोग से राष्ट्रीय मैनुअल स्केवेंजर सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया जिसके लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) एक नोडल एजेंसी है। यह निर्णय लिया गया था-कि प्रथम चरण में 18 राज्यों के 170 जिलों का सर्वेक्षण किया जाए। अभी तक 170 जिलों में से 159 जिलों से सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं और 39,093 मैनुअल स्केवेंजरों की पहचान की जा चुकी है। यह प्रस्ताव किया गया है कि पहचानशुदा मैनुअल स्केवेंजरों को एकबारगी नकद सहायता (ओटीसीए) जारी की जाए।

6. एससी के कल्याणार्थ आवंटन

एडब्ल्यूएससी के अंतर्गत योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी नीति आयोग के दिशा-निर्देशों और फ्रेमवर्क के अनुसार की जा रही है। इस योजना की समीक्षा में इस समय 41 मंत्रालय भाग ले रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग बढ़ाने के लिए मासिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।

ख. पिछड़ा वर्ग प्रभाग

1. विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदायों (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) के लिए विकास और कल्याण बोर्ड

दिनांक 21.02.2019 की राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। दिनांक 11.03.2019 की राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा अध्यक्ष और सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। वित्त मंत्रालय से मंत्रिमंडल टिप्पणी के अनुसार डीडब्ल्यूबीडीएनसी में विभिन्न पदों के सृजन करने का अनुरोध भी किया गया है।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

एनसीबीसी को संविधान के अनुच्छेद 338ख के अनुसार काम करने के लिए एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उद्यमपूंजी निधि

एससी और ओबीसी के लिए उद्यम पूंजी निधि के अंतर्गत बजट को समेकित किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष से, ओबीसी उद्यमियों को धनराशि जारी करने के लिए एक अलग बजट शीर्ष का सृजन किया जाएगा।

4. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

यह योजना 2017-18 से संशोधित की गई है और माता-पिता की वार्षिक आय सीमा 1.00 लाख रुपए से संशोधित करके 1.50 लाख रुपए की गई है। बालिकाओं के लिए 30% और दिव्यांग छात्रों के लिए 5% निधियां निर्धारित की गई हैं। यह निधि सीमित योजना है और यह विभाग योजना के लिए बजट में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है।

5. ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफ-ओबीसी)

इस योजना में छात्रों की सीटों की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 की गई है। एनईटी (नेट) योग्यता को अनिवार्य बनाने हेतु पात्रता संबंधी मानदंडों में संशोधन को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह विभाग योजना के बजट में वृद्धि करने के लिए प्रयास कर रहा है।

6. एनबीसीएफडीसी के लिए इक्विटी अंशदान

एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई अधिक मांग के मद्देनजर 80.00 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 130.00 करोड़ रुपए किया गया है।

ग. समाज रक्षा प्रभाग

I. वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने का प्रस्ताव है :-

- नीति और अधिनियम के आधार पर, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) का विस्तार 325 चयनित जिलों से बढ़ाकर देश के अधिकतम जिलों में करने का प्रस्ताव है।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

2. उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण

मंत्रालय का विचार लोक सभा में "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019" को पुर:स्थापित करने का है जिसका उद्देश्य वंचित ट्रांसजेण्डर जनसंख्या के खिलाफ कलंक को मिटाना, भेदभाव और दुरुपयोग को समाप्त करना है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। मंत्रालय का विचार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का भी है ताकि उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाया जा सके।

3. मद्यपान और नशीली दवा दुरुपयोग निवारण प्रभाग

मंत्रालय ने वर्ष 2018 के दौरान नशीली दवा की मांग में कटौती करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) शुरू की थी। इस कार्य योजना का उद्देश्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगी प्रयासों के माध्यम से नशीली दवा पर निर्भर व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के निवारण, उपचार और पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित करके नशीली दवा के दुरुपयोग के दुष्परिणामों में कमी लाना है। आने वाले वर्षों के लिए,

- आदी होने वाले नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए सामुदायिक भागीदारी और जनता के सहयोग में वृद्धि करने के लिए अधिक जोखिम वाले जिलों की पहचान की गई है।
- एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) की पहुंच का विस्तार करके और अस्पतालों, कारावासों और किशोर गृहों में उपचार सुविधाएं प्रदान करके देश भर में सेवाओं को व्यापक रूप से तथा बेहतर रूप से कवर किया जाएगा।
- जागरूकता सृजन कार्यक्रम का व्यापक रूप से विस्तार किया जाएगा।

*****